

राजस्थान सरकार
निदेशालय, कोष एवं लेखा, राज., जयपुर

क्रमांक : एफ.4(ई)(टी-788/2013)/अलेसे-III/ 5355

दिनांक :- 12/03/2020

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के कॉलम 03 में अंकित कार्मिकों को कॉलम 04 में अंकित कर्तव्य अवधि के वेतन आहरण की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	लिंक नं.	नाम/पदनाम	कर्तव्य अवधि	विभाग/कार्यालय जहाँ से वेतन भुगतान किया जाना है:-
1	2	3	4	5
1	10074	श्री अभिषेक शर्मा, क0 लेखाकार -	दिनांक 01.10.2019 से 31.10.2019	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, राज0 जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल (आर.डबल्यू.एस.एस.एम.बी.), जयपुर में कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद के विरुद्ध।
2	10738	श्री तेजपाल सिंह, क0 लेखाकार	दिनांक 30.09.2019 से 31.10.2019	


(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

क्रमांक : एफ.4(ई)(टी-788/2013)/अलेसे-III/ 5355

दिनांक :- 12/03/2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिकों का गत भुगतान प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका कार्यालय वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, राज0 जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल (आर.डबल्यू.एस.एस.एम.बी.), जयपुर को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, राज0 जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मण्डल (आर.डबल्यू.एस.एस.एम.बी.), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिकों का गत भुगतान प्रमाण पत्र एवं सेवा पुस्तिका प्राप्त होने पर वेतन भुगतान की व्यवस्था करवाते हुए सेवा पुस्तिका में इन्द्राज करदाने की व्यवस्था करावें।
3. श्री अभिषेक शर्मा/ तेजपाल सिंह, क0 लेखाकार, कार्यालय कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदय।
5. उप निदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)